

इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के धुलिया में एक फाडर बैंक स्थापित कर दिया गया है और आंध्र प्रदेश तथा बिहार में एक-एक फाडर बैंक की स्थापना सम्बन्धी

(3) कई राज्यों में घास तथा चारे की अधिक उपज वाली किसम को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक चारा अनुसंधान योजना की स्वीकृति दे दी है ।

(4) भारत सरकार ने नवम्बर, 1962 में झांसी में इंडियन प्रास-लैंड तथा चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है । पूरे तौर से स्थापित हो जाने पर यह संस्थान घास स्थल तथा चारा विकास के सभी पहलुओं पर अनुसंधान संबंधी जानकारी एकत्रित करेगी, देश में इस विषय पर अनुसंधान का समन्वय करेगी और अनुसंधान तथा विस्तार के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करेगी ।

(5) दाना-चारा विकास सम्बन्धी समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान देने की दृष्टि से कई राज्यों ने स्टेट फाडर एण्ड ब्रेजिंग कमेटी स्थापित की है जिनमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं । देश में दाना-चारा संसाधनों के विकास सम्बन्धी कार्य का पुनर्निरीक्षण करने के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय में एक स्थायी समिति की भी स्थापना की गई है ।

#### Fruit Powder Manufacturing Plant

2677. { Shri Narandra Singh  
Mahida:  
Shri Baswant:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether a co-operative processing plant in Jalgaon (Maharashtra State) will pioneer the manufacture of certain fruit powders;

(b) whether the plant will process banana, mango and papaya into powder; and

(c) if so, whether the trial productions have been found satisfactory and the produce is to be exported to the international markets as well?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) The Jalgaon District Cooperative Marketing Society has set up a factory at Jalgaon for manufacture of Banana Powder mainly.

(b) Yes, the Society has carried out trials for the manufacture of Banana, Mango & Papaya powder.

(c) The Society has sent samples for analysis to Laboratories in India and also to Denmark, to ascertain the quality of the trial products, but results are not yet available. The fruit powders to be manufactured by the Society are intended to be exported to International markets as well.

#### सूअर पालन

2678. श्री बसवन्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूअर पालन योजना कितने राज्यों में लागू की गई है ;

(ख) क्या सूअरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसी खास योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

**साद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) :** (क) से (ग). दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं तथा हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाये गये विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सूअर पालन विकास योजना को गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, नागालैंड, नेफा, अण्डमान तथा लकादीव के सिवाय समस्त राज्यों/मंडल क्षेत्रों में शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में तीन प्रादेशिक सूअर प्रजनन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, एक और केन्द्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। राजकीय सूअर प्रजनन यूनिट्स/सूअर पालन विकास खंडों में वितरण के लिये प्रत्येक केन्द्र से वर्ष में लगभग 1000 अभिजनक सूअरों की उत्पत्ति की सम्भावना है। समस्त केन्द्रों के साथ सम्भवतः सूअर मांस की फैक्टरियां सम्बद्ध होंगी। बिहार, केरल तथा राजस्थान में ऐसे केन्द्रों की स्थापना हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

सूअर पालन विकास योजना की दूसरी क्रमावस्था के अन्तर्गत 24 सूअर प्रजनन यूनिट्स जिनमें प्रत्येक के साथ नींव स्टॉक के रूप में विदेशी नसल की 30 सूअरनियां और 6 सूअर होंगे समस्त देश में स्थापित कर दिये गये हैं। इन यूनिट्स में उत्पादित अच्छी किस्म का स्टॉक उन सूअर पालन विकास खण्डों में बांट दिया जाता है जिनमें से 82 स्थापित किये जा चुके हैं। मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में दो सूअर प्रजनन फार्मों और उत्तर प्रदेश में 10 सूअर पालन विकास खण्डों की स्थापना भी हाल ही में अनुमोदित की जा चुकी है।

**गन्ने का मूल्य**

2679. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या साद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

457 (A1) LSD—4.

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1965-66 के लिये गन्ने का मूल्य निश्चित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चित किये गये मूल्य की कब तक घोषणा कर दी जायेगी ?

**साद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० चह्माण) :** (क) जी अभी नहीं।

(ख) 1965-66 की फसल में शर्करा कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य उस फसल के आरम्भ होने से पहले घोषित किया जायगा।

**Transportation of Foodgrains**

2680. { Shri Hukam Chand  
Kachhavalja;  
Shri Kishen Pattnayak;  
Shri S. M. Banerjee;  
Shri Naval Prabhakar;  
Shri S. N. Chaturvedi:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government sustained some losses due to mishandling in the transportation of foodgrains at the ports of Bombay, Kandla and Visakhapatnam and the Central Storage Depots noted below during 1961, 1962 and 1963 on account of miscalculations of the tenders and execution of the work orders:

Delhi; Hardoa Ganj; Meerut; Kanpur; Allahabad; Agra; Shahjahanpur. Hyderabad; Hapur; Bareilly; Lucknow; Barabanki; Masauda; Etawah; Rajpura; Ajmer; Bikaner; Nagpur and Bombay.

(b) whether any inquiry has been ordered into the matter;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) the action taken or proposed to be taken in the matter?